भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888

(1888 का अधिनियम संख्यांक 4)[1]

[2 मार्च, 1888]

[2][भारतीय रिजर्व बलों] का विनियमन करने के लिए अधिनियम

यत: [2][भारतीय रिजर्व बलों] के शासन, अनुशासन और विनियमन के लिए उपबंध करना समीचीन है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम भारतीय रिजर्व बल अधिनियम, 1888 है; और

(2) यह उस दिन[3] प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

[4][**2. रिजर्व बलों का नियमित और अनुपूरक रिजर्वों में विभाजन**—भारतीय रिजर्व बलों में नियमित रिजर्व और अनुपूरक रिजर्व होंगे ।]

3. रिजर्वों की सेवा का स्थान—[5]*** [6][भारतीय रिजर्व बलों] के किसी भी व्यक्ति पर [7][भारत] की सीमाओं के बाहर और उन सीमाओं के भीतर भी सेवा करने का दायित्व होगा ।

[8]*   *   *   *   *

4. रिजर्व बलों के विनियमन के लिए नियम बनाने की शक्ति—[9][(1)] केन्द्रीय सरकार [10][राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,] भारतीय रिजर्व बलों के शासन, अनुशासन और विनियमन के लिए नियम बना सकेगी और आदेश कर सकेगी ।

[10][(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और किया गया प्रत्येक आदेश बनाए या किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया या आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने के उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

5. [11]* रिजर्व बलों का सैनिक विधि के प्रति दायित्व**—ऐसे नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, जो धारा 4 के अधीन बनाए या किए जाएं, भारतीय रिजर्व बलों का कोई व्यक्ति, यथास्थिति, आफिसर या सैनिक के रूप में, उसी रीति से और उसी सीमा तक सैनिक विधि के अधीन होगा जैसे कि [12][नियमित सेना] का व्यक्ति होता है ।

6. रिजर्व बलों के व्यक्तियों द्वारा किए गए कतिपय अपराधों के लिए दंड—(1) यदि भारतीय रिजर्व बलों का कोई व्यक्ति,—

(क) इस अधिनियम के अधीन के किसी नियम या आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में, उससे किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा की जाने पर, ऐसी अपेक्षा के अनुसार हाजिर होने में बिना उचित कारण के असफल रहेगा, अथवा

(ख) ऐसे किसी नियम या आदेश का अनुपालन करने में बिना उचित कारण के असफल रहेगा, अथवा

(ग) ऐसे किसी नियम या आदेश के प्रतिकूल कोई वेतन या अन्य धनराशि कपटपूर्वक प्राप्त करेगा,

---

[1] यह अधिनियम, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली में, 1965 के विनियम 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप में और 1963 के विनियम 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी में विस्तारित और प्रवर्तित किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] यह अधिनियम 26 मई, 1888 को प्रवृत्त हुआ, उसी तारीख का भारत का राजपत्र, भाग 1, पृष्ठ 239 (अंग्रेजी) देखिए ।

[4] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा "(1)" कोष्ठक और अंक निरसित ।

[6] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा "सक्रिय रिजर्व" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्यों और भाग ग राज्यों के भीतर अन्तर्विष्ट राज्यक्षेत्रों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 3 द्वारा उपधारा (2) निरसित ।

[9] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) धारा 4 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[10] 1983 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-3-1984 से) अंत:स्थापित ।

[11] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 4 द्वारा "गैरिजन रिजर्व के व्यक्तियों के संबंध में धारा 3 के उपबंधों और" शब्द निरसित ।

[12] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी के भारतीय बलों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

तो वह,—

(i) सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर, मृत्यु, निर्वासन या एक वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड से भिन्न ऐसे दंड का भागी होगा, जिसे देने के लिए वह न्यायालय, [1][सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46)] द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा

(ii) [2][किसी प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट या] प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर, ऐसी अवधि के लिए, जो इस धारा के अधीन प्रथम अपराध की दशा में छह मास तक की, और तद्धीन किसी पश्चात्‌वर्ती अपराध की दशा में एक वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास का भागी होगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन के किसी नियम या आदेश द्वारा या उसके अनुसरण में भारतीय रिजर्व बलों के किसी व्यक्ति से किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा की जाए वहां, ऐसा प्रमाणपत्र, जिसका ऐसे नियम या आदेश द्वारा इस निमित्त नियत किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो और जिसमें यह कहा गया हो कि जिस व्यक्ति से इस प्रकार हाजिर होने की अपेक्षा की गई थी वह ऐसी अपेक्षा के अनुसार हाजिर नहीं हुआ है, ऐसे आफिसर के हस्ताक्षर या उसकी नियुक्ति के सबूत के बिना, उसमें उल्लिखित विषयों का साक्ष्य होगा ।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपराध से आरोपित व्यक्ति को सैनिक या सिविल अभिरक्षा में, या अंशत: एक प्रकार की अभिरक्षा में और अंशत: दूसरी प्रकार की अभिरक्षा में, लिया जा सकेगा और रखा जा सकेगा या उसे एक प्रकार की अभिरक्षा से दूसरी प्रकार की अभिरक्षा में स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

[3][**7. रिजर्व बलों के व्यक्तियों का, प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा की समाप्ति पर, सिविल प्रयोजन में पुन:स्थापन**—(1) यदि भारतीय रिजर्व बलों का कोई व्यक्ति, किसी नियोजक के अधीन अपने नियोजन की अवधि के दौरान, इस अधिनियम के अधीन किसी नियम या आदेश के अधीन अपने दायित्व के अनुसरण में प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो ऐसे हर नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह उस व्यक्ति को, उसके प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा की अवधि समाप्त हो जाने पर, किसी ऐसी उपजीविका में, और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उसके लिए उन शर्तों से कम लाभप्रद न हो जो उसे तब लागू होती जब उसके नियोजन में इस प्रकार बाधा न पड़ी होती, पुन:स्थापित करे :

परन्तु यदि वह नियोजक ऐसे व्यक्ति को पुन:स्थापित करने से इन्कार करता है या ऐसे व्यक्ति को पुन:स्थापित करने के अपने दायित्व को अस्वीकार करता है या यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति को पुन:स्थापन के बारे में नियोजक द्वारा यह कहा जाता है कि वह अव्यवहार्य है तो दोनों में से कोई भी पक्ष उस मामले को इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा इस निमित्त विहित प्राधिकारी को सौंप सकेगा और वह प्राधिकारी ऐसी सभी बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ जो उसके समक्ष रखी जाएं और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्‌, जो उक्त नियमों में विहित हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो—

(क) नियोजक को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे, अथवा

(ख) नियोजक से यह अपेक्षा करे कि वह उस व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों पर पुन:नियोजित करे जिन्हें वह प्राधिकारी उचित समझे, अथवा

(ग) नियोजक से यह अपेक्षा करे कि वह ऐसे व्यक्ति को पुन: नियोजित करने में असफलता या असमर्थता के लिए प्रतिकर के रूप में, उस दर से, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक उसे नियोजक द्वारा संदेय था, छह मास के पारिश्रमिक के बराबर रकम से अनधिक रकम अदा करे ।

(2) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश का पालन नहीं करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, और वह न्यायालय, जिसके द्वारा कोई नियोजक इस धारा के अधीन दोषसिद्ध किया जाए, उसे (यदि उक्त प्राधिकारी ने पहले उससे यह अपेक्षा की हो तो) यह आदेश दे सकेगा कि वह उस व्यक्ति को, जिसे उसने पुन: नियोजित नहीं किया, उस दर से, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक उसे नियोजक द्वारा संदेय था, छह मास के पारिश्रमिक के बराबर रकम अदा करे, और वह रकम जिसे अदा करने के लिए उक्त प्राधिकारी या न्यायालय ने इस प्रकार अपेक्षा की हो ऐसे वसूल की जा सकेगी मानो वह उस न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो ।

(3) इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में नियोजक अपनी प्रतिरक्षा में यह साबित कर सकेगा कि जो व्यक्ति तत्पूर्व नियोजित था उसने अपने प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा की अवधि की समाप्ति से दो मास के भीतर अपने पुन: स्थापन के लिए नियोजक से आवेदन नहीं किया ।

(4) उपधारा (1) द्वारा नियोजक पर अधिरोपित यह कर्तव्य कि वह उस उपधारा में उल्लिखित व्यक्ति को अपने नियोजन में पुन:स्थापित करे, ऐसे नियोजक का भी होगा, जो, प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा के लिए उस व्यक्ति के वस्तुत: बुलाए जाने से पूर्व, उसका नियोजन ऐसी परिस्थितियों में समाप्त कर देता है जिनसे यह आशय उपदर्शित होता हो कि वह उस उपधारा द्वारा अधिरोपित

---

[1] 1953 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा "भारतीय सेना अधिनियम, 1911" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 5 द्वारा अन्त:स्थापित ।

[3] 1958 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित । मूल धारा 7, 1931 के अधिनियम सं० 12 की धारा 6 द्वारा निरसित की गई थी ।

कर्तव्य से बचे, और, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो जाए, उस दशा में ऐसे आशय की उपधारणा की जाएगी जब ऐसी नियोजन-समाप्ति, उसके उस अधिनियम के अधीन प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा के लिए बुलाए जाने संबंधी आदेशों के जारी किए जाने के पश्चात् हुई हो ।

8. रिजर्व बलों के व्यक्तियों के, जब वे प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा के लिए बुलाए जाएं, कतिपय अधिकारों को बनाए रखना—यदि भारतीय रिजर्व बल के किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन के किसी नियम या आदेश के अधीन अपने दायित्व के अनुसरण में प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा के लिए बुलाया गया हो, उस नियोजन के, जिसे वह छोड़ता है, सिलसिले में किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि या कर्मचारियों के फायदे के लिए रखी गई किसी अन्य स्कीम के अधीन कोई अधिकार प्राप्त हो तो उसे, जब तक वह प्रशिक्षण, मस्टर या सेना की सेवा में लगा रहता है तब तक, और यदि वह पुन:स्थापित किया जाता है तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पुन:स्थापन तक, उस निधि या स्कीम की बाबत ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं ।]

______